-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 28.07.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **"ऑपरेशन ईगल" अभियान के तहत थाना कालिंजर पुलिस द्वारा अवैध गांजे की तस्करी करने वाली अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्ता के कब्जे से 7.9 किलोग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा जनपद बांदा को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन ईगल" के क्रम अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नरैनी श्री प्रवीण कुमार के नेतृत्व में थाना कालिंजर पुलिस द्वारा अवैध सूखे गांजे की तस्करी करने वाली एक अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 27/28.07.2026 की देर रात्रि में थाना कालिंजर पुलिस को गश्त एवं चेकिंग के दौरान सूचना पर एक महिला गिरधर पुर मोड़ के पास बोरी में कुछ संदिग्ध वस्तुए लेकर जा रही है। सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल महिला पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर जाकर चेक किया गया तो पाया गया कि एक महिला सिर पर प्लास्टिक की बोरी में कुछ लिए हुए पैदल जा रही थी जिसे महिला पुलिसकर्मियों द्वारा पकड़कर नियमानुसार नाम पता पूछते हुए तलाशी ली गई तो बोरी से कुल 07 किलो 900 ग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद हुआ। पुलिस द्वारा बरामद अवैध सूखे गांजे को कब्जे में लेकर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्ता को मा0 न्यायालय भेजा गया।

बरामदगी-

- 07 किलो 900 ग्राम अवैध सूखा गांजा।

गिरफ्तार अभियुक्ता-

1. मिनसारी बाई पत्नी रुजेन्द्र निवासी महुआ खेड़ा थाना शाहनगर जनपद पन्ना (म0प्र0)।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 102/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कालिंजर जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री दारा सिंह थानाध्यक्ष कालिंजर
2. उ0नि0 श्री रणजीत बहादुर
3. कां0 गौरव कुमार
4. रि0 म0कां0 सपना गुप्ता
5. रि0 म0कां0 श्रेया यादव